प्रोसेस हाउस उद्योग और वस्त्र उद्योग

4722. **श्री रामजीलाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने-कितने प्रोसेस हाउस उद्योग और वस्त्र उद्योग बंद हुए;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा उत्पादन आधारित उत्पाद शुल्क के स्थान पर एकमुश्त उत्पाद शुल्क लगाया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन आधारित उत्पाद शुल्क को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1.5.1996 से 30.4.1998 की अवधि के दौरान 62 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई) बंद होने की सूचना थी। इन 62 मिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**। मिलों की बंदी के लिए प्रमुख सूचित कारणों में वित्तीय कठिनाईयां, श्रमिक समस्याएं, तालाबंदी आदि शामिल हैं।

(ख) वर्तमान में संसाधित फैब्रिक पर शुल्क यथामूल्य आधार पर लगाया जाता है न कि विशिष्ट दर आधार पर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एस एस आई) का राज्यवार ब्यौरा:—

राज्य	मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	8
असम	2
गुजरात	14
हरियाणा	5
महाराष्ट्र	4
पंजाब	1
राजस्थान	6
तमिलनाडु	12
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	6
दिल्ली	3
	62

वस्त्र प्रसंस्करण गृहों की बंदी के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते।

Handicraft marketing and service extension centres

4723. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of handicraft marketing and service extension centres are in the country;

(b) the districts/areas and jurisdiction of each centre and standard staff strength category-wise of each handicraft marketing and service extension centre;

(c) whether the centres could ensure proper development and guidance to weavers and craftsmen in view of vast areas; and

(d) if not, the measures proposed to modify the schemes reducing the area of each marketing and service extension centre and train the employees properly to help craftsmen?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) The details of area of Jurisdiction of 47 Handicrafts Marketing and Service Extension Centres in the country is given in the annexure. [*See* appendix 184, Annexure no. 120]

The standard staff strength of each handicrafts Marketing and Service Extension Centre consists of one Assistant Director, one Handicrafts Promotion Officer, one Investigator, one Technical Assistant (Crafts)/Upper Division Clerk, one Lower division Clerk and one helper/Chowkidar.